हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्र०स० 2013/00160, 97/2013

14 1/20

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थना से प्रस्तुत हेतु पत्रावली वास्ते ...उ.प्र.ब... दिनांक ...5/2/20... को पेश हो।

4.2.2020

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित विपक्षीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही हुआ. काफी समय दिया जाने पर भी जवाब पेश नही होने से जवाब बन्द कर एक तरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम बोराणा की आराजी ख 253 रकबा 0.03 है. कित्ता 2 रकबा आ. खसरा 254 रकबा 0.31 है. कित्ता 2 रकबा 0.34 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध मे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी बहक प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षीगण क्रमांक 1 व 2 के जारी की जाती है कि विपक्षीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी तरह की दखलंदाजी नही करे व अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण को जबरन ताकत के बल से वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल नही करे तथा किसी अन्य को रहन बय बख्शीश या अन्य किसी भी तरह से हस्तान्तरित नही करे व राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से जमा हो।

(हस्ताक्षर) 4.2.2020
(सुन्दरलाल बाम्बोडा)
RAS
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.06 16:50:07 IST
Reason: SelfAttested